न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कमांक– I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/6313 सन्–2017

मलखान तनय श्री राजाराम तिवारी निवासी ग्राम बिजासिन

तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 –– आवेदक

बनाम

1–जयराम उर्फ जयकरन तनय राजाराम तिवारी,

2–नीरज तनय राजाराम तिवारी,

3–वशिष्ठ देव तनय राजाराम तिवारी समस्त निवासीगण

ग्राम बिजासिन तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 –– अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0भू0रा0सं0–1959

विषयः– निगरानी विरूद्ध श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय सरबई के रा0प्र0क0–10/अ–27/15–16 में पारित आदेश दिनांक– 22/08/2017 से परिवेदित होकर।

मान्यवर,

आवेदक निम्न लिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है किः–

आवेदक के प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

1– यह कि आवेदक एवं अनावेदकगण आपस में सगे भाई है। तथा भूमि खसरा कमांक– 2543, 2544, 2650/1, 2633, 2646, 2661, 3100, कुल किता–7 एकत्र रकवा 2.828हे0 एवं भूमि खसरा कमांक– 2649, रकवा 0.648हे0 स्थित मौजा सरबई तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि आवेदक एवं अनावेदकगणों की पैतृक संपत्ति है। जो राजस्व अभिलेख में सहखाते पर दर्ज है। तथा प्रत्येक का हिस्सा 1/4 – 1/4 है।

मलखान तिवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/6313

मलखान विरूद्ध जयराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी नायब तहसीलदार सरबई, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 10/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

11.01.19

जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य